लोक सभा सचिवालय
शोध एवं सूचना प्रभाग

सूचना बुलेटिन

सं. लार्डिस (संस.) 2015/आईबी-1 अप्रैल 2015

सभी के लिए स्वच्छता–मुद्दे और चुनौतियां

राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति, 2008 की परिभाषा के अनुसार, स्वच्छता मानव मल का सुरक्षित प्रबंधन है, जिसमें उसका सुरक्षित परिरोध, उपचार, निपटान और संबंधित स्वास्थ्य विज्ञान संबंधी आचरण शामिल है। ''स्वच्छता'' शब्द कूड़ा एकत्र करना और गंदे जल के निपटान जैसी सेवाओं के माध्यम से स्वास्थ्यकर स्थितियों को बनाए रखने की ओर भी संकेत करता है। स्वच्छता मानव के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य तथा प्रतिष्ठा के मूल में है। अपर्याप्त स्वच्छता विश्व भर में बीमारी का प्रमुख कारण होती है और स्वच्छता में सुधार घर-बार और संपूर्ण समुदाय दोनों में स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण हितकर प्रभाव डालता है। पर्याप्त जल और स्वच्छता सेवाओं के साथ एक स्वच्छ वातावरण से शहरी स्थायित्व को समर्थन, सामाजिक संतुलन, आर्थिक विकास और जन सेवाओं का अधिकार देना अपेक्षित होता है। इस प्रकार स्वच्छता बेहतर जन स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण घटक है और विकासात्मक मुद्दों तथा पर्यावरण संपोषण और सामाजिक अंतर्वेशन जैसी चुनौतियों से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है।

वैश्विक चुनौती के रूप में स्वच्छता

स्वच्छता सुविधाओं की कमी विश्व में जन स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए गंभीर चुनौतियों में से एक है। वास्तव में, कुपोषण के बाद साफ पानी और स्वच्छता विश्व स्तर पर बहुत सारी बीमारियों के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार कारक हैं। वर्तमान में विश्व भर में लगभग एक बिलियन लोगों की अत्यन्त मूलभूत स्वच्छता सेवाओं तक पहुंच नहीं है और वे अभी भी खुले में मल त्यागने के लिए जाते हैं। स्वच्छता के सामाजिक-आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों से दृढ़ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंध की अनुभूति, स्वच्छता को, यूनाइटिड नेशन्स मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स (एमडीजीज़) में शामिल किए जाने की ओर प्रेरित करती है। आठ एमडीजीज़ में से तीन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्वच्छता से संबंधित हैं, अर्थात् निम्न लक्ष्यों का होना:—

- शिशु मृत्यु-दर को कम करना
- बीमारियों को रोकना
- पर्यावरणीय स्थायित्व सुनिश्चित करना

यहां तक कि पहला लक्ष्य अत्यधिक गरीबी का उपशमन भी स्वच्छता से जुड़ा हुआ है, चूंकि अपर्याप्त स्वच्छता के कारण बीमारी से जुड़ी लागतें उत्पादकता और आय को प्रभावित करती हैं। जल और स्वच्छता की अत्यधिक महत्ता को मानते हुए संयुक्त राष्ट्र ने ''स्वच्छता'' और ''जल'' को 2010 में मानवाधिकार घोषित किया था।

मानवाधिकार के रूप में जल और स्वच्छता

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपने चौंसठवें सत्र में 28 जुलाई, 2010 को पारित एक संकल्प में सुरक्षित और साफ पेयजल और स्वच्छता के अधिकार को मानवाधिकार के रूप में माना गया, जो जीवन के पूर्ण आनंद और सभी मानवाधिकारों के लिए अत्यंत अनिवार्य है और देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अंतर्राष्ट्रीय सहायता और सहयोग के माध्यम से, विशेष रूप से विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन, क्षमता-निर्माण और प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए कहा ताकि सभी को सुरक्षित, साफ, सुलभ और सस्ता जल और स्वच्छता प्रदान करने के लिए प्रयासों को बढ़ाया जा सके।

वैश्विक स्वच्छता चुनौती, एमडीजी को प्राप्त करने के उद्देश्य से चलाये कार्यक्रमों के तहत प्रयास करने के बावजूद बहुत बड़ी बनी हुई है। 2012 में डब्ल्यूएचओ/यूनीसेफ की ज्वाइंट मॉनीटरिंग प्रोग्राम (जेएमपी) रिपोर्ट 2014 के अनुसार, 2.5 बिलियन लोगों की उन्नत स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच नहीं है और 1 बिलियन लोग अभी भी खुले में मल-त्याग का सहारा लेते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस तथ्य के बावजूद कि 1990 और 2012 के बीच 2 बिलियन अतिरिक्त लोगों को उन्नत स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त हुई, जिससे यह 49 प्रतिशत से बढ़कर 64 प्रतिशत हो गया; एमडीजी का 75 प्रतिशत लोगों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य 2015 तक पूरा नहीं हो सकता। इसके लिए आने वाले वर्षों में अपर्याप्त स्वच्छता संबंधी आचरणों को सुधारने के लिए बहुत अधिक प्रयास और निवेश अपेक्षित है।

भारत में स्वच्छता

स्वच्छता का महत्व स्वतंत्रता से बहुत पहले अनुभव किया गया था। एक बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि ''स्वच्छता राजनैतिक स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है।'' प्रत्येक गांव को ''निर्मल'' (साफ और स्वस्थ) बनाना सभी विकास संबंधी प्रयासों का केन्द्र है और साफ, हरे और स्वस्थ गांव भारत की प्रगति का एक स्थायी संकेत है। 1.2 बिलियन से ज्यादा की बढ़ती हुई जनसंख्या को स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, और भारत सरकार को जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पोषण और मानव कल्याण के बीच प्रत्यक्ष संबंध की जानकारी है और वह इन चिंताओं का समाधान करने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है।

सफाई और स्वच्छता के बारे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी

- ''सफाई भगवान का दूसरा रूप है।'' हम भगवान का आशीर्वाद गंदे शरीर की तुलना में गंदे मस्तिष्क के साथ प्राप्त नहीं कर सकते। साफ शरीर गंदे शहर में नहीं रह सकता।
- नगर-स्वच्छता का विज्ञान हम पश्चिम से सीख सकते हैं और हमें अवश्य सीखना चाहिए। पश्चिम के लोगों ने निगम स्वच्छता का विज्ञान और स्वास्थ्य विज्ञान विकसित किया है, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमें स्वच्छता के पश्चिमी तरीकों को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप आशोधित करना चाहिए।
- ...किसी को भी सड़कों पर थूकना अथवा नाक साफ नहीं करनी चाहिए....वे दूसरों की भावनाओं पर विचार नहीं करते.....
- कोई भी नगरपालिका कराधान और भुगतान करने पर सेवाएं देने की साधारण प्रक्रिया के माध्यम से गंदगी और भीड़भाड़ को नियंत्रित नहीं कर सकती। यह व्यापक सुधार अमीर और गरीब, दोनों तरह के लोगों के सामूहिक और स्वैच्छिक सहयोग से ही संभव है।
- यदि हम अपने आसपास के क्षेत्र को साफ नहीं रखते हैं, तो हमारा स्वराज सार्थक नहीं होगा।

भारत में स्वच्छता की स्थिति

भारत में स्वच्छता की खराब स्थिति को इस तथ्य से जाना जा सकता है कि भारत एक ऐसा देश है, जिसमें सबसे बड़ी संख्या में लोग खुले में मल त्यागते हैं। डब्ल्यूएचओ/यूनीसेफ की ज्वाइंट मॉनीटरिंग प्रोग्राम (जेएमपी) रिपोर्ट, 2014 के अनुसार विश्व में खुले में शौच करने वाले एक बिलियन लोगों में से पिचयासी प्रतिशत लोग केवल दस देशों में रहते हैं। खुले में मल त्यागने वाले 597 मिलियन अथवा विश्व की 59.7 प्रतिशत जनसंख्या भारत में है। इस तथ्य के बावजूद कि 1990 और 2012 के बीच 291 मिलियन लोगों को उन्नत स्वच्छता तक पहुंच प्राप्त हुई है, अभी भी देश में 792 मिलियन लोगों की उन्नत स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच नहीं है। वर्ष 2012 के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) के अनुसार ग्रामीण भारत में 59.4 प्रतिशत तथा शहरी भारत में 8.8 प्रतिशत घरों में शौचालय सुविधाएं नहीं हैं (राज्य-वार घरों की संख्या तालिका-एक में देखें)। एमडीजी इंडिया कंटरी रिपोर्ट 2014 में इंगित किया गया है कि यद्यपि शहरी क्षेत्रों में 2015 के सहस्राब्दि विकास लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाएंगे किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगति पिछड़ रही है।

जल एवं स्वच्छता कार्यक्रम द्वारा ''भारत में अपर्याप्त स्वच्छता के आर्थिक प्रभाव'' विषय पर कराए गए अध्ययन के अनुसार, साफ-सफाई का पूर्ण ध्यान न रखे जाने के कारण भारत को प्रतिवर्ष 2.44 ट्रिलियन रु. (53.8 बिलियन यूएस डॉलर) के बराबर आर्थिक दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ता है जो 2006 में भारत के स.घ.उ. के 6.4% के बराबर है। अध्ययन में यह अनुमान लगाया गया है कि इन दुष्प्रभावों में स्वास्थ्य संबंधी आर्थिक प्रभाव सबसे अधिक हैं जो 1.75 ट्रिलियन रुपये (38.5 बिलियन यूएस डॉलर) के बराबर है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों में डायरिया सबसे अधिक है जो कुल प्रभाव का 2/3 है, तत्पश्चात् एक्यूट लोअर रेसपीरेटरी इन्फैक्शन है जो स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों का 12% है।

वर्ष 2012 के दौरान स्वच्छता सुविधाओं से युक्त परिवार की संख्या दर्शाने वाले संकेतक (संख्या प्रति 1000 परिवार)-एनएसएसओ

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	शौचालय सुविधा से रहित		जिन्हें शौचालय प्रयोग का विशेष अधिकार है		बेहतर शौचालय सुविधा तक पहुंच	
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
आंध्र प्रदेश	543	81	345	681	445	910
अरुणाचल प्रदेश	126	0	492	679	465	979
असम	137	3	794	703	754	971
बिहार	728	208	188	443	258	784
छत्तीसगढ़	767	249	188	552	200	749

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	शौचालय सुविधा से रहित		जिन्हें शौचालय प्रयोग का विशेष अधिकार है		बेहतर शौचालय सुविधा तक पहुंच	
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
दिल्ली	0	0	744	668	1000	987
गोवा	97	40	711	743	858	960
गुजरात	587	62	366	743	407	936
हरियाणा	254	14	639	818	742	982
हिमाचल प्रदेश	257	43	595	701	737	957
जम्मू और कश्मीर	443	60	494	672	441	794
झारखंड	905	177	75	570	89	801
कर्नाटक	708	90	244	672	284	877
केरल	28	12	927	887	969	988
मध्य प्रदेश	790	140	153	640	207	849
महाराष्ट्र	540	69	322	580	443	927
मणिपुर	12	0	786	741	796	912
मेघालय	45	2	918	793	860	994
मिजोरम	7	0	980	975	934	999
नागालैंड	0	0	972	791	981	994
ओडिशा	813	182	124	496	173	805
पंजाब	222	62	655	581	776	933
राजस्थान	730	142	215	606	261	783
सिक्किम	2	0	857	556	991	1000
तमिलनाडु	664	122	275	606	330	866
त्रिपुरा	14	1	727	555	886	981
उत्तराखंड	197	16	644	644	802	976
उत्तर प्रदेश	753	107	195	642	224	867
पश्चिम बंगाल	397	54	400	574	580	932
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	288	50	614	740	712	950
चंडीगढ़	3	16	350	567	997	984
दादरा और नागर हवेली	493	322	89	291	507	678
दमन और दीव	268	1	380	119	732	999
लक्षद्वीप	0	23	1000	628	1000	977
पुदुचेरी	474	63	409	772	526	936
ऑल-इंडिया (2012)	**594**	**88**	**319**	**639**	**388**	**896**
ऑल-इंडिया (2008-09)	**652**	**113**	**279**	**581**	*	*

तालिका-एक. *वर्ष 2008-09 (एनएसएस के 65वें राउंड) के तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

स्वच्छता नीति और कार्यकलाप

भारत में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (एमडीडब्ल्यूएस) और शहरी विकास मंत्रालय क्रमश: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता संबंधी कार्यों के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं। स्वच्छता संबंधी कार्यक्रमों के संबंध में समग्र नीति निर्माण, योजना, वित्तपोषण और सामंजस्य स्थापित करने की जिम्मेदारी इन मंत्रालयों पर है। स्वच्छता को संविधान में राज्य सूची के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद से स्वच्छता स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी हो गई है।

वर्ष 2008 की राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति (एनयूएसपी) में पूरे शहर में एकीकृत स्वच्छता कार्यक्रम लागू करने के साथ-साथ नेटवर्क आधारित सीवरेज प्रणाली को बढ़ावा देने तथा यह सुनिश्चित करके कि जहां भी संभव हो घरों को इसका कनेक्शन प्रदान करके शहरी भारत की कायापलट करने की मंशा व्यक्त की गई है। इसमें विनिर्दिष्ट लक्ष्य इस प्रकार हैं:—(क) जागरूकता पैदा करना और व्यवहार परिवर्तन, (ख) खुले में शौच की प्रथा से मुक्त शहर, और (ग) एकीकृत नगर स्वच्छता। शहरी स्वच्छता योजना (सीएसपी) एनयूएसपी का एक प्रमुख घटक है जो एक क्षेत्र आधारित व्यापक योजना दस्तावेज है जिसमें पूरे शहर को स्वच्छ करने के लक्ष्य को संपूर्ण स्वच्छता चक्र, वित्त और संस्थागत व्यवस्थाएं करके प्राप्त करने के बारे में पूर्ण विवरण दिया गया है। एनयूएसपी में यह अनिवार्य किया गया है कि प्रत्येक राज्य अपने स्थानीय शहरों के परिप्रेक्ष्य में अपनी अलग राज्य स्वच्छता रणनीतियां बनाएं। इससे राज्य स्तर पर एक फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा जिसके अंतर्गत शहर अपनी नगर स्वच्छता योजनाएं (सीएसपीस) बना सकते हैं और लागू कर सकते हैं।

शहरी विकास मंत्रालय ने अवसंरचना विकास से हटाकर सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित करते हुए जल आपूर्ति और स्वच्छता के संबंध में सेवा स्तर संबंधी बेंचमार्क निकाले हैं। (13वें वित्त आयोग द्वारा सभी राज्यों के लिए यह अनिवार्य बनाया गया है कि वे जल आपूर्ति और स्वच्छता के संबंध में सेवा स्तर के बेंचमार्क अधिसूचित करें)। मंत्रालय द्वारा निकाले गए सेवा स्तरीय बेंचमार्क इस प्रकार हैं:

सेवा स्तरीय बेंचमार्क

क्र.सं.	संकेतक	बेंचमार्क
ए.	**सीवेज प्रबंधन (सीवरेज और स्वच्छता)**	
ए1	शौचालयों की कवरेज	100%
ए2	सीवेज नेटवर्क सेवाओं की कवरेज	100%
ए3	सीवेज नेटवर्क की सीवेज इकट्ठा करने की क्षमता	100%
ए4	सीवेज शोधन क्षमता की पर्याप्तता	100%
ए5	सीवेज शोधन की गुणवत्ता	100%
ए6	सीवेज का पुन: प्रयोग और पुनर्चक्रण	20%
ए7	उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण की कुशलता	80%
ए8	सीवेज प्रबंधन की लागत वसूली	100%
ए9	सीवेज शुल्क संग्रहण में कुशलता	90%
बी.	**ठोस अपशिष्ट प्रबंधन**	
बी1	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं की घरेलू स्तर पर कवरेज	100%
बी2	निगम ठोस अपशिष्ट को इकट्ठा करने की कुशलता	100%
बी3	निगम ठोस अपशिष्ट को अलग करना	100%
बी4	निगम ठोस अपशिष्ट को पुन: प्राप्त करना	80%
बी5	निगम ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक ढंग से निपटारा	100%
बी6	उपभोक्ता शिकायतों के निवारण की कुशलता	80%
बी7	एसडब्ल्यूएम सेवाओं में लागत वसूली	100%
बी8	एसडब्ल्यूएम शुल्क संग्रहण में कुशलता	90%

तालिका 2. (स्रोत: शहरी विकास मंत्रालय)

शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्राथमिक और गौण डाटा स्रोतों के आधार पर एक स्वच्छता रेटिंग सर्वेक्षण आरंभ कराया ताकि अपशिष्ट (तरल और ठोस) उत्पादन, एकत्रीकरण और निपटाने के संबंध में एक व्यापक बेसलाइन बनाई जा सके जिससे वस्तुनिष्ठ स्व-आकलन के माध्यम से उन्हें संबंधित स्वच्छता श्रेणी में रखा जा सके। 2009-10 में की गई पहली स्वच्छता रेटिंग के अनुसार शहरों को राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति के अंतर्गत वर्णित कार्य-निष्पादन, प्रक्रिया और परिणाम संकेतकों के तहत उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर चार रंगों की श्रेणियों में बांटा गया यथा लाल, काला, नीला और हरा। इसका विवरण इस प्रकार है:

संख्या	श्रेणी	रेंज	शहरों की संख्या
1	लाल	33 प्वाइंट तक	189
2	काला	34-66 प्वाइंट	230
3	नीला	67-90 प्वाइंट	4
4	हरा	91-100 प्वाइंट	0
	कुल		**423**

तालिका 3. (स्रोत: शहरी विकास मंत्रालय)

इस प्रक्रिया से यह पता चला कि आधे से भी अधिक शहर काली और लाल श्रेणी में थे। केवल चार शहर—चंडीगढ़, मैसूर, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद और सूरत नीली श्रेणी में थे जिन्होंने 100 में से 90 से कम किंतु 66 से अधिक अंक प्राप्त किए थे। हरी श्रेणी में कोई भी शहर नहीं आता। 476 प्रथम श्रेणी के शहरों के लिए दूसरी ऐसी स्वच्छता रेटिंग प्रक्रियाधीन है।

ग्रामीण स्वच्छता हेतु पहला देशव्यापी कार्यक्रम केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता मंत्रालय ने वर्ष 1986 में आरंभ किया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले (बीपीएल) लोगों के लिए पानी की सुविधा से युक्त शौचालयों के निर्माण के लिए बड़ी मात्रा में सब्सिडी दी गई थी। अप्रैल, 1999 में एक पुनर्गठित सीआरएसपी, 'संपूर्ण स्वच्छता अभियान' शुरू किया गया और उन पंचायती राज संस्थाओं, जिन्होंने शत-प्रतिशत खुले में शौच करने से मुक्त पर्यावरण संबंधी लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, को पुरस्कृत करने हेतु 2005 में निर्मल ग्राम पुरस्कार (एनजीपी) नामक एक प्रोत्साहन पुरस्कार योजना शुरू की गई। संपूर्ण स्वच्छता अभियान को अप्रैल, 2012 में 'निर्मल भारत अभियान' (एनबीए) का रूप दिया गया जिसमें 'समुदाय आधारित' 'जनकेन्द्रित' रणनीति और एक सामुदायिक दृष्टिकोण अपनाकर ग्रामीण भारत को 'निर्मल भारत' में परिवर्तित करने की मांग की गई है और इसमें घरों, स्कूलों तथा स्वच्छ पर्यावरण हेतु सफाई सुविधाओं के लिए जागरूकता पैदा करना तथा उसे उत्पन्न करने की मांग करने पर बल दिया गया है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान (एनबीए) हेतु किए गए प्रयासों से शौचालयों वाले ग्रामीण घरों की संख्या 2001 के 22 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 32.70 प्रतिशत हो गई। डब्ल्यूएचओ/यूनीसेफ ज्वाइंट मॉनीटरिंग प्रोग्राम (जेएमपी) रिपोर्ट 2014 के अनुसार उन्नत स्वच्छता सुविधाओं का प्रयोग करने वाले भारतीय परिवारों का अनुपात 1990 के 18 प्रतिशत से बढ़कर 2012 में 36 प्रतिशत (शहरी क्षेत्रों में 50 से 60 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 7 से 25 प्रतिशत) हो गया है।

स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम)

2 अक्तूबर, 2014 को शुरू किया गया स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) आज की तारीख तक भारत सरकार का सबसे बड़ा स्वच्छता कार्यक्रम/अभियान है। सरकार के दृष्टिकोण से उत्पन्न एसबीएम, जिसके बारे में 9 जून, 2014 को संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण में स्पष्ट रूप से बताया गया है, शहरी विकास मंत्रालय तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय का एक संयुक्त मिशन है। स्वच्छ भारत मिशन के दो उप-मिशन हैं- एक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और दूसरा शहरी क्षेत्रों के लिए। इसका उद्देश्य 2 अक्तूबर, 2019 तक भारत को खुले में शौच करने से शत-प्रतिशत मुक्त करना है, जो भारत सरकार का एक इरादा है और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष में स्वच्छ भारत के महात्मा गांधी के सपने को पूरा करना है।

> हम ऐसी अपमानजनक स्थिति को सहन नहीं करेंगे जिसमें घरों में शौचालय न हों और सार्वजनिक स्थान गंदगी से भरे हों। देश भर में स्वास्थ्यकर परिस्थितियां (हाइजिन), कचरा प्रबंधन और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए ''स्वच्छ भारत मिशन'' चलाया जाएगा। ऐसा करना महात्मा गांधी को उनकी 150वीं जयंती पर हमारी श्रद्धांजलि होगी जो वर्ष 2019 में मनाई जाएगी।
>
> **–भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी**
> **09 जून, 2014 को संसद के संयुक्त सत्र में अपने संबोधन में**

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)

शहरी क्षेत्रों के लिए स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के एक उप-मिशन को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है जिसका उद्देश्य देश में सभी 4041 सांविधिक शहरों को स्वच्छता और घरेलू शौचालय सुविधाएं प्रदान करना है। ये शहर देश की 31 प्रतिशत जनसंख्या या लगभग 377 मिलियन लोगों का घर है। 5 वर्षों से अधिक के इस कार्यक्रम की कुल अनुमानित लागत 62,009 करोड़ रु. है जिसमें से प्रस्तावित केन्द्रीय सहायता

14,623 करोड़ रु. होगी। मिशन में सभी शहरों में 1.04 करोड़ घरों को कवर करने, 2.5 लाख सामुदायिक शौचालय और 2.6 लाख सार्वजनिक शौचालय तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही गई है।

कार्यक्रम में खुले में शौच करने की प्रथा को समाप्त करना, बिना पानी वाले शौचालयों को पानी वाले (फ्लश) शौचालय में बदलना, हाथ से मैला उठाने की प्रथा का उन्मूलन, निगम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्यकर स्वच्छता प्रथाओं के बारे में लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना, स्वच्छता के बारे में नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करना और उसे जन स्वास्थ्य से संबद्ध करना शामिल है। इसका उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों को इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु डिजाइन बनाने उसे कार्यान्वित करने तथा प्रणालियों को संचालित करने हेतु सुदृढ़ बनाना है और पूंजीगत व्यय और प्रचालनात्मक व्यय में निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु वातावरण तैयार करना भी है। शहरी विकास मंत्रालय के सचिव के नेतृत्व वाली एक राष्ट्रीय परामर्शदात्री और समीक्षा समिति, जिसमें वित्त और अन्य संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, इस कार्यक्रम के लिए धनराशि जारी करेगी और इसकी निगरानी करेगी। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव के नेतृत्व वाली एक उच्चाधिकार समिति इस कार्यक्रम का संचालन करेगी। एक संसद सदस्य के सभापतित्व में परियोजनाओं की संतोषजनक निगरानी सुनिश्चित करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जिला स्तर समीक्षा और निगरानी समिति (डीएलआरएमसी) का गठन किया जाएगा।

एसबीएम (शहरी) के घटक

मिशन के निम्नलिखित घटक हैं:

- व्यक्तिगत घरेलू शौचालय
- सामुदायिक शौचालय
- सार्वजनिक शौचालय
- निगम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
- सूचना और शिक्षा संचार (सीआईईसी) और जन-जागरूकता, और
- क्षमता निर्माण।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दूसरे उप-मिशन का उद्देश्य सफाई के स्तर में सुधार करना और ग्राम पंचायतों को 2 अक्तूबर, 2019 तक खुले में शौच से मुक्ति (ओडीएफ) दिलाना है। इसके लिए, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) शुरू किया गया है जिसमें प्रगति के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने और ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के परिणामों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देने पर बल दिया गया है। निम्नलिखित के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) को प्राप्त करने का प्रस्ताव है:

- व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (आईएचएचएल), कलस्टर शौचालयों, सामुदायिक शौचालयों (पीपीपी पद्धति के माध्यम सहित), वाले सभी ग्रामीण घरों को कवर करना, स्कूल और आंगनवाड़ी शौचालयों का निर्माण और सभी ग्राम पंचायतों में ठोस और गीले अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) कार्यकलाप करना;
- अधिक मांग पैदा करना, विभिन्न एजेंसियों और हितधारकों के माध्यम से समन्वित कार्यवाही करना, बढ़ी हुई जानकारी और शिक्षा संप्रेषण (आईईसी), अंतर-व्यक्तिगत संप्रेषण (आईपीसी) के माध्यम से काम शुरू करना;
- कार्यान्वयन और आपूर्ति तंत्र को सुदृढ़ बनाना;
- स्वच्छ भारत हेतु ग्राम पंचायत और घरेलू स्तर पर आउटपुट (शौचालय निर्माण) और आउटकम (शौचालय का प्रयोग करना) की निगरानी करना।

एसबीएम (ग्रामीण) के अंतर्गत देश में लगभग 11 करोड़, 11 लाख शौचालयों के निर्माण में 1,34,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) की इकाई लागत को 10,000 रु. से बढ़ाकर 12,000 रु. कर दिया गया है ताकि पानी के भंडारण, हाथ धोने और शौचालयों को साफ करने सहित पानी उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की जा सके। कुछ महत्वपूर्ण घटकों में शामिल हैं:

- प्रत्येक परिवार में शौचालय के लिए प्रावधान: केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों और पहचान किए गए गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) के परिवारों को शौचालय का निर्माण करने और उसका उपयोग आरंभ करने के बाद प्रत्येक शौचालय के लिए क्रमश: 9000 और 3000 रुपए (उत्तर-पूर्व राज्यों, जम्मू और कश्मीर तथा विशेष वर्ग राज्यों के मामले में 10800 रु. और 1200 रु.) की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अन्य एपीएल परिवारों को अपनी धनराशि अथवा स्वयं सहायता समूहों, बैंकों, सहकारी संस्थाओं, इत्यादि से ऋण लेकर शौचालयों का निर्माण करने के लिए प्रेरित किया जाता है।
- सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण: हिस्सेदारी का अनुपात 60:30:10 (केन्द्र:राज्य:समुदाय)

- स्वच्छता संबंधी सामान के उत्पादन केन्द्रों और ग्रामीण स्वच्छता मार्ट को सहायता।

- ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए निधि: केन्द्र और राज्य/ग्राम पंचायत हिस्सेदारी के 75:25 के अनुपात के आधार पर 150/300/500 तक और 500 से अधिक परिवारों वाली ग्राम पंचायतों के लिए 7/12/15/20 लाख की सीमा लागू होती है।

- आईईसी के लिए कुल परियोजना लागत का 8 प्रतिशत का प्रावधान होगा, जिसमें 3 प्रतिशत का केन्द्र स्तर पर और 5 प्रतिशत का राज्य स्तर पर उपयोग होगा।

- प्रशासनिक लागत के लिए परियोजना लागत के 2 प्रतिशत का प्रावधान होगा। केन्द्र और राज्य के बीच हिस्सेदारी का अनुपात 75:25 होगा।

शौचालयों के निर्माण और उनके उपयोग के संबंध में स्वच्छता कार्यक्रम के कार्यान्वयन की रणनीति का केन्द्र, व्यवहार में परिवर्तन लाना और लोगों को प्रेरित करना होगा। व्यवहार में परिवर्तन लाने और शौचालयों के उपयोग के लिए समुदायों को प्रेरित करने को शीर्ष वरीयता दी जाएगी ताकि बढ़ी हुई मांग को सुनिश्चित किया जा सके, जो सृजित परिसम्पत्तियों के उपयोग को बढ़ावा देगा। प्रौद्योगिकी और मीडिया का स्वच्छता और स्वास्थ्य के लाभ का संदेश फैलाने के लिए प्रभावी उपयोग किया जाएगा। जो दूसरों के बीच असाधारण कार्य करते हैं, उन व्यक्ति, संस्थानों, ग्राम पंचायतों, जिलों, राज्यों के लिए **स्वच्छ भारत अवार्ड** की कल्पना भी की गई है।

रेलवे में स्वच्छता और सामान्य बजट 2015-16

2015-16 के वर्तमान रेलवे और सामान्य बजट में, स्वच्छता को अत्यधिक वरीयता दी गई है। रेलवे बजट, 2015-16 के माध्यम से रेल मंत्रालय स्वच्छ रेल बनाना चाहता है, जो सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम-स्वच्छ भारत अभियान के पीछे प्रेरक बल है। स्टेशनों और रेलगाड़ियों को साफ रखने के लिए एक नया विभाग बनाया जा रहा है। समग्र सफाई को एक विशेष कार्यकलाप के रूप में लिया जाएगा, जिसमें व्यावसायिक एजेंसियों को नियुक्त करना और कर्मचारियों को सफाई के नवीनतम व्यवहारों में प्रशिक्षित करना शामिल है। रेलवे के कूड़ा-करकट का पर्यावरण अनुकूल तरीके से निपटान करने के लिए प्रमुख कोचिंग टर्मिनलों के पास ''कूड़ा-करकट से ऊर्जा'' (वेस्ट टू एनर्जी) बनाने के संयंत्रों की स्थापना की योजना है। इसके अलावा, रेलवे 650 अतिरिक्त स्टेशनों (गत वर्ष में 120 स्टेशनों की तुलना में) को कवर करते हुए नए शौचालय बनाएगा। डिब्बों में जैव-शौचालयों को फिट किया जा रहा है और वर्तमान 17,388 शौचालयों की जगह जैव-शौचालय बना दिए गए हैं। वर्तमान में, 17000 शौचालयों को प्रतिस्थापित किए जाने का विचार है।

सामान्य बजट में स्वच्छता को प्रमुख विशिष्टता भी दी गई थी। ''स्वच्छ भारत'' का उद्देश्य भारत को सुधारने के अभियान में परिवर्तित करना है। वर्ष 2014-15 के दौरान, 50 लाख शौचालयों का निर्माण हो चुका है और सरकार का लक्ष्य छह करोड़ शौचालयों का निर्माण करना है। स्वच्छ भारत स्वच्छता और सफाई का कार्यक्रम ही नहीं है, अपितु यह मूल रूप से निवारक स्वास्थ्य देखभाल और जागरूकता पैदा करने का कार्यक्रम है। वर्तमान वर्ष में कराधान प्रस्तावों में स्वच्छ भारत अभियान के लिए पहल और स्वच्छ भारत कोष के लिए सीएसआर के माध्यम से अंशदान के अतिरिक्त अंशदान के लिए 100 प्रतिशत छूट है। अप्रत्यक्ष करों में स्वच्छ पर्यावरण पहलों के वित्त पोषण के लिए कोयला, इत्यादि से स्वच्छ ऊर्जा शुल्क 100 रुपए प्रति मीट्रिक टन से बढ़ाकर 200 रुपए प्रति मीट्रिक टन करने का प्रस्ताव भी रखा था। औद्योगिक उपयोग के अलावा अन्य स्थानों पर एथेलीन के पॉलीमर के बोरों और थैलों पर उत्पाद शुल्क 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया जा रहा है। सभी अथवा कतिपय सेवाओं पर, यदि आवश्यकता हो, तो 2 प्रतिशत अथवा कम दर पर स्वच्छ भारत शुल्क लगाने संबंधी प्रावधान का अधिकार देने का प्रस्ताव भी है।

चुनौतियां और भावी लक्ष्य

देश में पूर्ण स्वच्छता को प्राप्त करने के लिए स्वच्छता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में विभिन्न चुनौतियां और बाधाएं हैं। उनमें से एक बाधा जनसंख्या चुनौती है। हालांकि गत वर्षों में ग्रामीण स्वच्छता कवरेज की दिशा में तेजी से उन्नति हुई है, किन्तु ग्रामीण परिवारों की संख्या में वृद्धि के कारण वास्तविक प्रभाव की सराहना नहीं की जा सकी और उससे प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। इसी प्रकार शहरी जनसंख्या और ग्रामीण क्षेत्रों से भारत के शहरी क्षेत्रों की ओर स्थानांतरण शहरी स्वच्छता के लिए प्रमुख चुनौती है। वर्ष 2050 तक यह अपेक्षा की जाती है कि भारत की 50 प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रह रही होगी और इस प्रकार यह स्वच्छता और जल की आपूर्ति पर अत्यधिक दबाव डालेगी। जनसंख्या में वृद्धि के साथ ही गरीबी ग्रामीण स्वच्छता कवरेज को बढ़ाने के लिए एक बाधा है।

लोगों में स्वच्छता आदतों में व्यवहार संबंधी परिवर्तन लाना और उन्हें कायम रखना एक अन्य चुनौती है। विभिन्न क्षेत्र अध्ययनों ने शौचालय उपयोग के विभिन्न स्तरों की ओर संकेत किया है, जो समुदाय की जागरूकता पर निर्भर करता है और एनजीपी गांवों के स्तर

में भी पुन: निर्मित शौचालयों की घटिया गुणवत्ता अथवा उसको प्रयोग न करने के कारण कमी आई है। उदाहरण के लिए 2008 में यूनीसेफ द्वारा किए गए एक ऐसे अध्ययन में यह पाया गया था कि स्वच्छता तक पहुंच रखने वाली 80 प्रतिशत जनसंख्या में से केवल 63 प्रतिशत सुविधाओं का उपयोग कर रहे थे। कवरेज की गति को बनाए रखते हुए, शौचालय सुविधाओं का उपयोग जारी रखना सुनिश्चित करना वास्तव में एक चुनौती है। इसके अतिरिक्त, स्वच्छता कार्यक्रमों में उन्नत स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्वच्छता को जोड़ने की आवश्यकता है।

हाल ही में, भारत सरकार द्वारा स्वच्छता को सर्वोच्च वरीयता प्रदान की गई है। पूर्ण स्वच्छता अथवा खुले में मल-त्यागने से मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अप्रत्याशित स्तर पर जन-जागरूकता लाने की आवश्यकता है। ग्रामीण घरेलू जल और स्वच्छता संबंधी कार्यदल, बारहवीं पंचवर्षीय योजना 2012-2017 के प्रतिवेदन में यह पाया गया है कि ''जबकि व्यक्ति और समुदाय व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से अच्छे स्वच्छता व्यवहारों के परिणामों की उचित समझ से इसके अच्छे परिणाम आते हैं, यहां समुचित वित्तीय संसाधनों के साथ सरकार और सभ्य समाज दोनों को शामिल करके समर्पित संस्थागत संरचना की आवश्यकता है, जिसका उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सतत प्रयासों में उपयोग किया जा सकेगा।'' विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया, मीडिया और जागरूकता अभियान को सुदृढ़ करना, समावेशी और प्रोत्साहन आधारित दृष्टिकोण अपनाना, सिविल सोसाइटी को सक्रिय रूप से शामिल करना और समुचित निगरानी और क्षमता निर्माण वाला एक समग्र दृष्टिकोण अपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अनिवार्य है।

विभिन्न हितधारकों की संलिप्तता और उनकी भूमिका

देश में स्वच्छता की वर्तमान स्थिति को देखते हुए एक समेकित प्रयास हेतु सभी हितधारकों का साथ आना बहुत जरूरी है। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 के अनुसार, स्वच्छता को 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है और तद्नुसार ग्राम पंचायत को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा सभी स्तरों पर विभिन्न स्वच्छता नीतियों और कार्यक्रमों को ईमानदारी से लागू किए जाने की जरूरत है। पंचायती राज संस्थाओं को शौचालयों के निर्माण और अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान के द्वारा स्वच्छ पर्यावरण को बरकरार रखने के लिए भी सामाजिक एकत्रीकरण करना आवश्यक है। उन्हें सामुदायिक परिसरों, पर्यावरणीय घटकों, ड्रेनेज आदि जैसी परिसंपत्तियों के प्रहरी के रूप में काम करना है और उत्पादन केन्द्र/ग्रामीण सेनेटरी बाजार खोलने और संचालित करने हैं। इसी प्रकार, 74वें संशोधन के अंतर्गत, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को राज्य और केन्द्र सरकार की नीतियों और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अनुरूप उप-नियम बनाने के लिए कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं। शहरी स्थानीय निकायों को अपनी ओर से लागत वसूली, स्वच्छता कर लगाने, सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने, मलिन बस्तियों में सीवरेज और स्वच्छता सेवाएं उपलब्ध कराने, शिकायत के निवारण हेतु तंत्र गठित करने, सार्वजनिक भागीदारी, नालियों के निर्माण और रख-रखाव हेतु जागरूकता उत्पन्न करने के लिए नीतियां बनाने की आवश्यकता है।

गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रमों को लागू करने में उत्प्रेरक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वे आईईसी कार्यकलापों और क्षमता निर्माण के कामों में सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं जिससे स्वच्छता सुविधाओं के उत्पादन, निर्माण और उपयोग की मांग बढ़े। वे बुनियादी सर्वेक्षण करने विशेषकर स्वच्छता, सफाई, पानी के उपयोग आदि के बारे में मुख्य व्यवहार और अवधारणाओं के निर्धारण का काम कर सकते हैं। गैर-सरकारी संगठन उत्पादन केन्द्र और ग्रामीण सेनेटरी बाजार भी खोल सकते हैं और उन्हें चला सकते हैं।

कारपोरेट निकाय या घराने, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अभिन्न अंग के रूप में स्वच्छता अभियान में योगदान दे सकते हैं। उदाहरण के लिए स्वच्छ भारत अभियान उनके कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाने में एक मंच के रूप में उनकी सहायता कर सकता है। वे आईईसी, एचआरडी अथवा प्रत्यक्ष लक्षित हस्तक्षेप के माध्यम से स्वच्छता के मुद्दे पर विचार कर सकते हैं जैसे:

- बाजार अथवा अन्य सार्वजनिक स्थानों/कार्यस्थल के आस-पास अथवा ऐसे ही स्थान पर सेनेटरी परिसर उपलब्ध कराना;
- प्रभावी ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी और संसाधनों में सहायता प्रदान करना; अथवा
- बस्तियों/गांवों/ग्राम पंचायतों को स्वच्छ ग्राम आदि बनाने के लिए गोद लेना।

सिविल सोसाइटी ग्राम पंचायत स्तर पर मुख्य सहायक की भूमिका भी निभा सकती है। लोगों को प्राय: सरकारी या अन्य हितधारकों/एजेंसियों द्वारा दी गई सेवाओं का लाभार्थी कहा जाता है। अब यह माना गया है कि लोग भी महत्वपूर्ण हितधारक हैं। सिविल सोसाइटी संगठनों को योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी में शामिल किए जाने और यह जांच करने, कि क्या धनराशि का इष्टतम उपयोग किया गया है

या नहीं, में शामिल किए जाने की जरूरत है। प्रत्येक राज्य द्वारा समुदाय को ''सिटिजन चार्टर'' बनाने के कार्य में लगाए जाने की आवश्यकता है। सामाजिक प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित समुदाय आधारित संगठन, पंचायती राज संस्थाओं के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से सहक्रिया करें और उन्हें बुनियादी लोकतंत्र और स्थानीय आयोजना और कार्यान्वयन हेतु सीखने की नर्सरी के रूप में देखा जाए।

उल्लिखित हितधारकों के अतिरिक्त, केन्द्र और राज्य सरकारें तथा विनियामक निकायों को सतत आधार पर मानक स्थापित करने, आयोजना बनाने, वित्तपोषण करने, कार्यान्वयन, ज्ञान के विकास, क्षमता निर्माण प्रशिक्षण, निगरानी और मूल्यांकन तथा विनियामक प्रबंध में अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। राज्य को शहरी स्थानीय निकायों को उनके कर्त्तव्यों के निर्वहन हेतु शक्तियों, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के साथ-साथ आवश्यक वित्तीय और निजी संसाधनों का भी बंटवारा करने की जरूरत है। राज्यों को शहरी स्थानीय निकायों की वर्तमान में शहर में सफाई के कार्य करने वाली एजेंसियों पर किंतु जो उनके प्रति सीधे जवाबदेह नहीं हैं जैसे पेरास्टेटल एजेंसियों और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट (पीएचईडी), पर विभिन्न प्रकार की शक्तियां भी दी जानी चाहिएं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबीएस) जैसे सांविधिक प्राधिकरणों को भी राज्य सरकारों द्वारा घोषित नियमों और विनियमों का पालन करने हेतु अन्य एजेंसियों, एनजीओ और यूएलबी आदि के काम की निगरानी करने की भी जरूरत है।

सांसदों की भूमिका

लोगों का सर्वांगीण विकास करने के उद्देश्य हेतु सांसद विभिन्न तरीकों से स्वच्छता अभियान में भी सहायता कर सकते हैं। जन-प्रतिनिधि होने के नाते वे राष्ट्रीय और स्थानीय स्तरों पर स्वच्छता के बारे में प्रभावी रूप से जन-जागरूकता पैदा कर सकते हैं। वे सरकार को प्रभावित कर सकते हैं और स्वच्छता संबंधी लक्ष्यों के कार्यान्वयन में कई प्रकार से भाग ले सकते हैं। वे यह देखने के लिए भी इस लाभकारी स्थिति में हैं कि बजट आबंटन अनुमोदित सरकारी नीतियों/प्राथमिकताओं और देश के लिए स्वच्छता संबंधी एमडीजी लक्ष्यों के अनुसार हैं। वे प्रश्नों और अन्य संसदीय साधनों के माध्यम से सभा में और विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों और संसदीय मंच सहित अन्य चर्चा हेतु बने मंचों पर इन मुद्दों को उठा सकते हैं। स्वच्छता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती गैर-पेय उपयोग हेतु सीवेज के पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण के 20 प्रतिशत के बेंचमार्क को प्राप्त करना है। (जैसाकि सीवरेज और सीवेज उपचार प्रणालियां 2013 संबंधी नियम पुस्तिका के अध्याय-7, भाग क में परिभाषित है।) सांसद सीवेज के पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं और इससे शहरी स्थानीय निकायों के लिए राजस्व सृजन भी होगा।

जल संरक्षण और प्रबंधन संबंधी संसदीय मंच

चौदहवीं लोक सभा के आरम्भ से भारतीय संसद में विभिन्न संसदीय मंच गठित किये गये हैं जिनका उद्देश्य सदस्यों को राष्ट्रीय महत्व के विशिष्ट मुद्दों के संबंध में सूचना और जानकारी प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें नोडल मंत्रालयों के संबंधित विषयों के विशेषज्ञों और वरिष्ठ अधिकारियों से परस्पर बातचीत हेतु एक मंच प्रदान करना है। वर्तमान समय में ऐसे आठ संसदीय मंच हैं— जल संरक्षण और प्रबंधन संबंधी मंच, बाल मंच, युवा मंच, जनसंख्या और जन स्वास्थ्य संबंधी मंच, भूमंडलीय ताप वृद्धि और जलवायु परिवर्तन संबंधी मंच, आपदा प्रबंधन संबंधी मंच, दस्तकार और शिल्पकार संबंधी मंच और सहस्राब्दि विकास लक्ष्य संबंधी मंच।

जल संरक्षण और प्रबंधन संबंधी संसदीय मंच की ''ग्रामीण स्वच्छता में तकनीकी विकल्प—भारतीय परिप्रेक्ष्य'' विषय पर एक बैठक 13 मार्च, 2013 को संसदीय ज्ञानपीठ भवन, नई दिल्ली में हुई। अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ एक सामाजिक संस्था सुलभ इंटरनेशनल ने उनके द्वारा विकसित की गई एक तकनीक जो आम जनता के लिये लाभकारी सिद्ध हुई है, के बारे में एक पावर प्वाइंट प्रस्तुति भी दी। 1500 से 55000 रुपये तक की लागत से बनने वाला टू पिट पोर फ्लश कम्पोस्ट टॉयलेट जिसे सुलभ शौचालय कहा जाता है, एक उचित, सस्ती, स्वदेशी और हमारी संस्कृति में स्वीकार्य तकनीक है जिसके माध्यम से खुले में शौच तथा सिर पर मैला ढोने वालों द्वारा शुष्क शौचालयों की सफाई करने जैसी प्रथाओं को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। सुलभ शौचालय जल संरक्षण जो आज भारत और पूरे विश्व की आवश्यकता है, के मितव्ययितापूर्ण प्रयोग में सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत स्वच्छता कार्यक्रम

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) एक अन्य क्षेत्र है जिसके माध्यम से संसद सदस्य देश में स्वच्छता स्थिति में सुधार हेतु अपना योगदान दे सकते हैं। वास्तव में स्वच्छता और जन स्वास्थ्य ऐसे प्रमुख मुद्दों में से एक हैं जिनके लिये एमपीलैड की धनराशि से कार्य कराए जाने की सिफारिश की जाती है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 2006-07 और 2007-08 में क्रमश: 4.57 प्रतिशत और 4.35 प्रतिशत कार्य स्वच्छता और जन स्वास्थ्य हेतु किये गये। वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 में यह 4 प्रतिशत था। वर्ष 2008-09 में यह आंकड़ा 3.75 प्रतिशत था तथा

वर्ष 2011-12 में स्वच्छता और जन स्वास्थ्य हेतु आबंटित किये गये कार्यों का राज्य-वार प्रतिशत तालिका 4 में नीचे दिया गया है।

एमपीलैड्स के अंतर्गत स्वच्छता और जन स्वास्थ्य हेतु राज्यों को आबंटित किये गये कार्य
(2011-12)

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	स्वच्छता और जन स्वास्थ्य हेतु आबंटित कार्यों का प्रतिशत
आंध्र प्रदेश	3%
अरूणाचल प्रदेश	5%
असम	1%
बिहार	3%
छत्तीसगढ़	1%
गोवा	10%
गुजरात	3%
हरियाणा	4%
हिमाचल प्रदेश	1%
जम्मू और कश्मीर	17%
झारखंड	4%
कर्नाटक	4%
केरल	1%
मध्य प्रदेश	2%
महाराष्ट्र	10%
मणिपुर	1%
मेघालय	2%
मिजोरम	7%
नागालैंड	–
ओडिशा	2%
पंजाब	11%
राजस्थान	1%
सिक्किम	11%
तमिलनाडु	6%
त्रिपुरा	6%
उत्तर प्रदेश	1%
उत्तराखंड	0.42%
पश्चिम बंगाल	3%
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8%
चंडीगढ़	3%
दादरा और नागर हवेली	3%
दमन और दीव	3%
दिल्ली	3%
लक्षद्वीप	9.34%
पुदुचेरी	9%
नाम-निर्देशित सदस्य	13%

तालिका 4. (स्रोत: एमपीलैड्स वार्षिक रिपोर्ट)

एमपीलैड्स अतिरिक्त सहायता के संभावित स्रोतों में से एक है। ग्रामीण विकास, पंचायती राज और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री ने अगस्त 2014 में संसद सदस्यों से यह निवेदन किया है कि वे निजी घरेलू शौचालयों, (आईएचएचएल) तथा स्कूलों और आंगनवाड़ी केन्द्रों में शौचालयों के निर्माण, सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण और ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं हेतु एमपीलैड्स से धनराशि आबंटन की सिफारिश करें ताकि इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक इकाई के लिये स्वीकृत लागत (केन्द्र और राज्य का हिस्सा) को पूरा किया जा सके।

स्वच्छता का अधिकार

संसद सदस्यों का एक अन्य महत्वपूर्ण योगदान यह हो सकता है कि वे लोगों को उनके अधिकार के रूप में प्रभावपूर्ण ढंग से स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु उचित कानून लाने की आवश्यकता पर

विचार करें। इस संबंध में कुछ सिविल सोसाइटी संस्थाओं ने स्वच्छता को एक संवैधानिक अधिकार बनाने के लिये पहले से ही सक्रिय अभियान आरम्भ कर रखा है। चूंकि कानून बनाना संसद का एक प्रमुख कार्य है, अत: सांसद स्वच्छता को संवैधानिक अधिकार का दर्जा दिये जाने की व्यावहारिकता पर विचार कर सकते हैं। इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ ने जल और स्वच्छता को पहले ही मानव अधिकार घोषित कर रखा है। वर्किंग ग्रुप ऑन रूरल डोमेस्टिक वाटर एंड सेनिटेशन टवैल्थ फाइव इयर प्लान, 2012-17 की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि ''स्वच्छता का अधिकार'' की प्रक्रिया एक संवैधानिक प्रावधान के रूप में आरंभ की जानी चाहिए जिसे कानून द्वारा लागू किया जा सकता है, इसे व्यावहारिक तौर पर लागू करने के लिए उचित प्रतिमानों का अध्ययन करने और तदनुसार कार्य करने की आवश्यकता है, इसमें यह विचार भी व्यक्त किया गया है कि स्वच्छता को मानवाधिकार के रूप में परिभाषित करने से स्थिति में अंतर आएगा तथा ग्रामीण और शहरी भारत में रहने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्यकर जीवन दशाएं सुलभ कराने में सहायक होंगी।

संदर्भ:

1. भारत सरकार, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) दिशा-निर्देश, कार्यक्रम और नीति; निर्मल भारत की ओर, ग्रामीण स्वच्छता और सफाई संबंधी रणनीति, 4 जुलाई, 2011
2. भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति, 2008; एसबीएम दिशा-निर्देश, अक्तूबर, 2014; सर्विस लेवल बेंचमार्किंग, 2008 संबंधी विवरण पुस्तिका; सीवरेज और सीवरेज प्रबंधन प्रणाली, 2013 संबंधी नियम पुस्तिका
3. स्वच्छता संबंधी दक्षिण एशिया सम्मेलन (एसएसीओएसएएन) V 2013; भारत देश रिपोर्ट
4. भारत सरकार, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य भारत देश रिपोर्ट 2014; एमपीलैड्स वार्षिक रिपोर्ट 2011-12 और 2012-13; पेयजल के प्रमुख संकेतक, स्वच्छता, सफाई और आवासीय स्थिति
5. संयुक्त राष्ट्र, सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य, रिपोर्ट 2014; यूएनजीए द्वारा 28 जुलाई, 2010, को पारित किया गया संकल्प (64/292) जल और स्वच्छता का मानव अधिकार
6. योजना आयोग, बारहवीं पंचवर्षीय योजना 2012-2017, ग्रामीण घरेलू जल और स्वच्छता संबंधी कार्य दल रिपोर्ट, सितम्बर 2011; बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के लिए जल संसाधन और स्वच्छता संबंधी संचालन समिति की रिपोर्ट, जनवरी, 2012
7. लोक सभा सचिवालय, संसदीय मंच प्रकोष्ठ, जल संरक्षण और प्रबंधन संबंधी संसदीय मंच की बैठक का सारांश। 13 मार्च, 2013
8. www.m.gandhi.org, आन लाइन पुस्तिका, श्री एम.के. गांधी द्वारा लिखित इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स
9. www.Indiawaterportal.org, 24 और 25 मार्च, 2014 को हुआ स्वच्छता का अधिकार संबंधी अखिल भारतीय सम्मेलन
10. जल और स्वच्छता कार्यक्रम, फ्लैगशिप रिपोर्ट, भारत में अपर्याप्त स्वच्छता के आर्थिक प्रभाव, 2011
11. संयुक्त राष्ट्र, डब्ल्यूएचओ/यूएनआईसीईएफ का संयुक्त निगरानी कार्यक्रम (जेएमपी) रिपोर्ट, 2014 (पेयजल और स्वच्छता के संबंध में प्रगति)
12. प्रेस सूचना ब्यूरो, स्वच्छता संबंधी विभिन्न लेख

यह बुलेटिन, श्री पी.के. मिश्र, अपर सचिव और डॉ. डी.के. सिंह, निदेशक की देखरेख में श्रीमती नीलम सेठी, अपर निदेशक और श्री एस. होल्खोपाओ बाइते, संयुक्त निदेशक द्वारा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के आधार पर संसद सदस्यों के उपयोग हेतु तैयार किया गया। इस बुलेटिन का हिन्दी संस्करण संपादन और अनुवाद सेवा की निदेशक, श्रीमती सरिता नागपाल, अपर निदेशक, श्री धनी राम और संयुक्त निदेशक, श्री डी.आर. मेहता के मार्गनिर्देशन में तैयार किया गया है।